

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक : 264/236/नि/चार/2009,
प्रति,

रायपुर दिनांक 31/08/2009

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय:-दिनांक 01/01/2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण।

-0-

राज्य शासन, वित्त विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 72/161/नि/चार/2009, दिनांक 24 मार्च, 2009 द्वारा नियमित कर्मचारियों के वेतनमानों का तथा अधिसूचना क्रमांक 128/नि/चार/2009, दिनांक 18 मई,2009 द्वारा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवा के सदस्यों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01/01/2006 से करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं । शासन द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत ऐसे शासकीय सेवकों, जिन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 अथवा छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 लागू है, के पेंशन अथवा परिवार पेंशन का पुनरीक्षण निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(एक) पेंशन-पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन +ग्रेड वेतन) के आधार पर होगा । पेंशन 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अंतिम माह के मूलवेतन के 50 प्रतिशत की दर से देय होगी। न्यूनतम पेंशन रूपये 3,025 प्रतिमाह होगी । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक रहेगी।

(दो) परिवार पेंशन- अंतिम मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन) के 30 प्रतिशत की दर से देय होगी । न्यूनतम परिवार पेंशन रूपये 3,025 प्रतिमाह होगी । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक रहेगी।

2. अतिरिक्त पेंशन- वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी :-

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%

90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश में पेंशनर/परिवार पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ताकि पेंशनर/परिवार पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन देय होने पर पेंशन संवितरणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त पेंशन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित हो सके। इसके लिये पृथक से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी। अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशन भुगतान आदेश में पृथक से दर्शायी जायेगी। उदाहरणार्थ, जब पेंशनर की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो और कण्डिका 1 (एक) के अनुसार उसकी समेकित पेंशन/परिवार पेंशन 10,000 रूपये है तो उसकी पेंशन/परिवार पेंशन (i) मूल पेंशन = रूपये 10,000 प्रतिमाह तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन = रूपये 2,000 प्रतिमाह दर्शाया जावेगा। उसकी आयु 85 वर्ष होने पर (i) मूल पेंशन = रूपये 10,000 प्रतिमाह तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन = रूपये 3,000 प्रतिमाह दर्शाया जावेगा।

3. दिनांक 31/08/2008 के पश्चात् सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लिए पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

क. **मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी)** की अधिकतम राशि रूपये 3.50 लाख को बढ़ाकर 01 सितम्बर, 2008 से रूपये 10.00 लाख (दस लाख) किया जाता है। ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम माह का मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा।

ख. **पेंशन के कम्प्युटेशन** मूल्य की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्युटेशन) नियम, 1996 के नियम -8 के तहत वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-8-98/PWC/चार, दिनांक 07/02/2000 द्वारा जारी संशोधित सारणी (राजपत्र दिनांक 18/02/2000 में प्रकाशित) के अनुसार की जाएगी।

ग. **अर्जित अवकाश नगदीकरण** के लिए मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ते को मासिक उपलब्धियाँ माना जाएगा। अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता तथा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।


4. दिनांक 01/01/2006 से 31/08/2008 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्ति अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक तौर पर निर्धारित की जाकर वास्तविक भुगतान 01 सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 2008 की पेंशन जो 01 अक्टूबर, 2008 को देय) से देय होगी।

5. यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 तथा छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के अधीन देय पेंशन पर लागू होंगे।

6. इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी । दिनांक 01 सितम्बर, 2008 (माह सितम्बर, 2008 की पेंशन जो माह अक्टूबर, 2008 में देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई, 2009 (माह जुलाई, 2009 की पेंशन जो माह अगस्त, 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी । उपरोक्त पैरा-3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी । मंहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी ।

7. पेंशन/परिवार पेंशन के उपर्युक्त अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 तथा छ0ग0 (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कमचारी) पेंशन नियम, 1979 में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किये जायेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

रायपुर दिनांक 31/08/2009

पृ.क्र. 265/236/नि/चार/2009,


प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग.लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
9. महालेखाकार (लेखा एवं हक.), छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
12. सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
13. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।

16. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
18. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
20. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी/पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
23. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
24. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
25. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक,पेंशन वितरण बैंकों को क्षेत्रीय कार्यालय,छत्तीसगढ़ की ओर वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई 4-1/81/नि-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें, ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गई पुनरीक्षित पेंशन राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके ।
26. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
27. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
28. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
29. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
30. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
31. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
32. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन,मंत्रालय, चेन्नई 600018.
33. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
34. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
35. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001.
36. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
37. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047
38. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
39. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
40. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
41. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
42. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
43. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.

44. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
45. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
46. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
47. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
48. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
49. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
50. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, पांचवी मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
52. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001.
53. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
54. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
56. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
57. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
58. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
59. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम
60. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018.
61. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018.
62. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
64. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
67. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं 4, सेक्टर 5, 33बी चंडीगढ़ 160047.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
69. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
70. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001.
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
72. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 700001.
73. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
74. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001.
76. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक 717101

77. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तरांचल, देहरादून
78. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव, पोस्ट पणजी, गोवा 403101
79. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. महालेखाकार (लेखा एवं हक.), मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
81. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक-5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110006
82. सहायक मिलिट्री, एटेची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल-1
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
83. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
84. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
85. संचालक, पेंशन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
86. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।



उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग